रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112021-231176
CG-DL-E-16112021-231176

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 15, 2021/कार्तिक 24, 1943
No. 651]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 15, 2021/KARTIKA 24, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 800(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 686(अ), तारीख 30 सितंबर, 2021 की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनसे उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना से अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 30 सितंबर,2021 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव नहीं प्राप्त हुए थे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (छब्बीसवां संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंध के सिवाय, ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 115क के उप-नियम (10) में सारणी 2 के अधीन टिप्पण में खंड (xvii) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु सीईवी स्टेज IV या सीईवी स्टेज V को लागू किए जाने की तारीख से पूर्व विनिर्मित वाहनों को इस नियम के कार्यान्वयन की संबंधित तारीख के पश्चात क्रमश: आठ माह और छह माह तक रजिस्टर किया जाएगा।"।

[फा. सं. आरटी-11028/22/2016-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 728(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15 November, 2021

G.S.R 800(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 686(E), dated the 30th September, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 30th September, 2021;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1**. Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twenty Sixth Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 115A, in sub-rule (10), in the Note under Table-2, in clause (xvii), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the vehicles manufactured before the date of applicability of CEV Stage-IV and CEV Stage-V shall be registered up to eight months and six months respectively, after the respective date of implementation of this rule.".

[F. No. RT-11028/22/2016-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 728(E) dated the 11th October, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.11.16 18:02:53 +05'30'